## विचार बिन्दु

**मेरे दोस्त किसी चीज़ को कुरूप ना कहो, सिवाय उस भय के जिसकी मारी कोई आत्मा स्वयं अपनी स्मृतियों से डरने लगे। –खलील जिब्रान**

# डिजिटल युग में गैर-व्यक्तिगत डेटा के साझे पर विमर्श

अंतर्जाल नेट पर दुनिया में सबसे बडी संख्या वाले सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भारत दुनिया का ऐसा प्रमुख देश बन रहा है जो डिजिटल तकनीक को लागू करके लोगों के जीवन को बदलने, शासनतंत्र में सुधार लाने के लिये नवाचार वाला पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के रास्ते पर बढ रहा है। इसमें अगले कदम के रूप में सरकारों के डेटा संग्रह और प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रणाली को बदलने और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए केंद्र के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल डेटा गवरनेन्स फेमवर्क पॉलिसी (एनडीजीएफपी) का प्रारूप जारी किया है। इस पर 11 जून तक आपत्तियां मांगी गई है। इस नीति के लिए केंद्र सरकार काफी समय से तैयारियां कर रही थी। इससे संबंधित एक विधेयक 2019 में राज्यसभा में पेश किया गया था। उसे सदन ने उसी दिन एक संयुक्त संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेजा दिया गया था।बाद में इन्फोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक सरकारी समिति ने जुलाई 2020 में अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि देश में उत्पन्न गैर-व्यक्तिगत डेटा को विभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थाओं द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी जाए।इसी के अनुरूप अब नई नीति का मसौदा जारी किया गया है। डिजिटल गवर्नमेंट आर्किटेक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक का यह पहला कदम है जो डेटा-संचालित शासन को बढ़ावा देने का प्रयास है। सरकार का कहना है कि एनडीजीएफपी शासन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा ताकि सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का उचित मूल्यांकन हो सके तथा सरकारी सेवाओं का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सके और नीति निर्माता बेहतर फैसले लेने में सक्षम हो सकें। आशा व्यक्त की गई है कि एनडीजीएफपी डेटा और आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेन्स स्टार्ट-अप को उत्प्रेरित करने का भी काम करेगा। राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का यह मसौदा सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा उपयोग के लिए नागरिकों के गैर-व्यक्तिगत डेटा को जुटाएगा।कहा गया है कि इस मसौदा नीति का उद्देश्य उपभोक्ता को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करना है। इससे आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेन्स स्टार्टअप को गैर-व्यक्तिगत डेटा सेट बनाने और उन तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी जिससे नवाचारी इकोसिस्टम पर आधारित अनुसंधान, नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मसौदा नीति एक गैर-व्यक्तिगत डेटा आधारित भारत डेटासेट कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती है और इसे सुनिश्चित करने के तरीकों और नियमों कीव्यवस्था भी करती है जिससे कि अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के गैर-व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रूप से सुलभ हो सकें। गैर-व्यक्तिगत डेटा ऐसे आंकडों का कोई भी समूह हो सकता है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि इस तरह के डेटा को देखकर किसी भी जीवितया मृत व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, कोई लंच, डिनर या खाने की चीज ऑनलाइन मंगाता है तो सेवा प्रदाता द्वारा एकत्र किए गए ऑर्डर विवरण में उसे मंगाने वाले व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग और अन्य संपर्क जानकारी होगी। यदि पहचानकर्ता की नाम और संपर्क जानकारी हटा दी जाय तो यह गैर-व्यक्तिगत डेटा बन जाएगा।सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए सभी डेटा अर्थात आंकड़े जैसे कि जनगणना, किसी विशेष अवधि में कुल कर वसूली के नगर निगमों के डेटा या सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यों के निष्पादन के दौरान एकत्र की गई किसी भी जानकारी को सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा की छतरी के नीचे रखा गया है। ऐसे डेटा संठाहण जिसमें भौगोलिक स्थिति, धर्म, नौकरी या अन्य समान सामाजिक के लोगों के समूह की जानकारी होती, सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा होंगे। उदाहरण के लिए विभिन्न ऐप्स, टेलीकॉम कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए मेटाडेटा को सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा श्रेणी के तहत रखा गया है। ऐसा माना गया है कि यह व्यवस्था निजता का अतिक्रमण नहीं करती। गैर-व्यक्तिगत डेटा को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा, सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा और निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा। जैसा कि सबको विदित है कि नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्टार्टअप्स, एआई रिसर्च एंटिटीज और सरकारी विभागों की दिलचस्पी होती है।

**विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन ढांचे के अंतिम मसौदे में सभी प्रतिभागियों, जैसे डेटा प्रिंसिपल, डेटा कस्टोडियन और डेटा ट्रस्टी की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। आशा की जानी चाहिए कि मसौदे पर आने वाली प्रतिक्रियाओं तथा आपत्तियों पर विचार करते हुए एक प्रभावी और उपयोगी कानून बनने की राह प्रशस्त होगी।**

सरकार का कहना है कि यह नीतिगत ढांचा भारत के एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ऊंची छलांग लगाने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसे पाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क सभी विभागों में डेटा भंडारण और प्रबंधन के लिए सामान्य मानकों, नियमों और दिशानिर्देशों के साथ डिजिटल शासन और सरकार के डिजिटलीकरण में तेजी लाएगा। मसौदे में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान, डिजिटल शासन के जरिए ही महामारी के प्रति भारत की लचीली प्रतिक्रिया तथा जीवन, आजीविका और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव से निबटने में सक्षम बड़ी भूमिका निभाई जा सकी है।कोविड के बाद के युग में, शासन तंत्र में तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है इससे और डेटा भी तेजी से बढ़ रहे हैं। नागरिकों के डिजिटल संपर्कों के अनुभव और सरकार और शासन के साथ उनके डिजिटल नागरिक के रूप में जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए यह नई व्यवस्था किये जाने की बात की जा रही है। डिजिटल डेटा का वर्तमान में अलग-अलग सरकारी संस्थाओं में अलग-अलग और असंगत तरीकों से प्रबंधन, संग्रहण होता हैं और वहां तक सबकी पहुंच भी दुरूह होती हैं। इस प्रकार का डेटा-संचालन शासन की प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने को बाधित करता है। यह स्थिति डेटा साइंस, एनालिटिक्स और एआई के अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को अपनी पूरी क्षमता में उभरने में अवरोध पैदा करता है। इसलिए इस डेटा की शक्ति का उपयोग अधिक प्रभावी डिजिटल सरकार, सार्वजनिक भलाई और नवाचार के लिए किया जाना चाहिए, इस प्रकार एक राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (एनडीजीएफपी) की जरूरत है। प्रस्तावित नीति सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं पर लागू होगी और निर्धारित नियम और मानक किसी भी सरकारी संस्था द्वारा एकत्रित और प्रबंधित किए जा रहे सभी डेटा को कवर करेंगे। इसमें सभी गैर-व्यक्तिगत डेटासेट और डेटा और प्लेटफॉर्म, नियमों, मानकों को कवर करने का प्रस्ताव है, जो शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को इन तक पहुंच और उपयोग को नियंत्रित करेंगे। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों को नीति और नियमों, मानकों और प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मसौदे में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस (आईडीएमओ) की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जो नीति बनाने, प्रबंधन और समय-समय पर समीक्षा और संशोधन के लिए जिम्मेदार होगा लेकिन नई व्यवस्थाएं बनाने में गहन सतर्कताएं बरतनी आवश्यक होगी। कुछ श्रेणियों में जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिक हितों से संबंधित डेटा शामिल हैं जैसे कि सरकारी प्रयोगशालाओं या अनुसंधान सुविधाओं के स्थान, भले ही वे अज्ञात रूप में प्रदान किए गए हों, खतरनाक हो सकते हैं। इसी तरह, भले ही डेटा किसी समुदाय या समुदायों के समूह के स्वास्थ्य के बारे में हो और गुमनाम रूप में हो मगर वह भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि शातिर लोग थोड़े से प्रयास करके गैर व्यक्तिगत डेटा से लोगों की व्यक्तिगत जानकारी पा सकते हैं। ऐसा किस हद तक हो सकता है इसका अभी किसी को अनुमान नहीं है। किन्तु विशेषज्ञ यह मानते हैं कि ऐसा संभव है। इस तरह के नुकसान की संभावना स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है यदि मूल व्यक्तिगत डेटा संवेदनशील प्रकृति का हो। इसलिए, ऐसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा से उत्पन्न होने वाले गैर-व्यक्तिगत डेटा को संवेदनशील गैर-व्यक्तिगत डेटा माना जा सकता है। इसके प्रति ऐसा गोपालकृष्णन समिति ने भी सावचेत किया था।

गैर व्यक्तिगत डेटा को उपयोगकर्ताओं को देने की कवायद इस समय दुनिया भर में चल रही है। यूरोपीय संघ मई 2019 में गैर-व्यक्तिगत डेटा के मुक्त प्रवाह के लिए एक विनियमन ढांचा ले कर आया, जिसमें उसने सुझाव दिया कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राज्य डेटा साझा करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। हालांकि उनके विनियमन ने यह परिभाषित नहीं किया था कि गैर-व्यक्तिगत डेटा किस प्रकार का है। वहां केवल यह कहा गया कि सभी डेटा जो व्यक्तिगत नहीं हैं, गैर-व्यक्तिगत डेटा श्रेणी के अंतर्गत होंगे।अच्छी बात यह है कि नए भारतीय नीति मसौदे में इसे स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मसौदा अज्ञात डेटा की शक्ति, भूमिका और उपयोग की पहचान करने में प्रभावी है, लेकिन समुदाय गैर-व्यक्तिगत डेटा जैसे कुछ पहलू हैं, जहां मसौदा और स्पष्ट हो सकता था। गैर-व्यक्तिगत डेटा अक्सर संरक्षित व्यापार की गोपनीयता की महत्वपूर्ण चिंताओं को भी उठाते हैं। मसौदा सामुदायिक डेटा की अस्पष्ट अवधारणा का प्रस्ताव करता है जबकि समुदाय अधिकार के लिए पर्याप्त रूप ध्यान दिये जाने की जरूरत है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन ढांचे के अंतिम मसौदे में सभी प्रतिभागियों, जैसे डेटा प्रिंसिपल, डेटा कस्टोडियन और डेटा ट्रस्टी की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। आशा की जानी चाहिए कि मसौदे पर आने वाली प्रतिक्रियाओं तथा आपत्तियों पर विचार करते हुए एक प्रभावी और उपयोगी कानून बनने की राह प्रशस्त होगी। डेटा आधुनिक दुनिया को शक्ति देता है। उसके उपयोग पर नियंत्रण के उपाय उचित हैं। मगर यह भी उतना ही जरूरी है कि साथ ही साथ ऐसी रणनीति भी बने जिससे गुमनाम करने के बाद भी उनकी पुन: पहचान न हो सके क्योंकि वैकल्पिक डेटा स्त्रोत कुछ हद तक ओवरलैप के साथ उपलब्ध होते हैं और बाज़ार की शातिराना शक्तियां उनसे निजी जानकारियां चुरा लेने में माहिर होती हैं।

**–अतिथि संपादक,**
**राजेन्द्र बोड़ा**
**( वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक )**

# स्वाधीनता के दीवाने राणा प्रताप के अनसुने प्रकरण

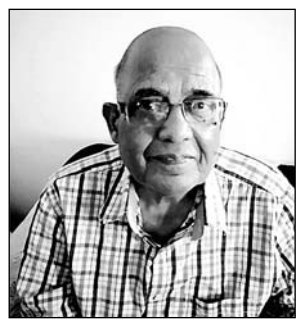

डॉ. जे के गर्ग

राणा प्रताप का मानना था कि मेरे लिये मेवाड़ की आजादी और अस्मिता सर्वोपरी इसकी रक्ष के लिये में अपने प्राण की भी आहुति देने को तैयार हूँ। मान्यताओं के मुताबिक़ अकबर ने राणा को संदेश भिजवाया कि अगर वे मेरे सामने झुक जायें तो वो प्रताप को आधा भारत का राज्य दे देगें, किन्तु राणा ने उत्तर दिया कि मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, किन्तु कभी भी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाऊँगां।

**आन-बाण स्वाभिमान के पक्के**

जब महाराणा प्रताप अकबर से पराजित होकर जंगल-जंगल भटक रहे थे तब एक दिन पांच बार भोजन पकाया गया किन्तु हर उन्हें बार भोजन को छोड़कर भागना पड़ा। एक बार प्रताप की पत्नी और उनकी पुत्रवधू ने घास के बीजों को पीसकर कुछ रोटियां बनाई। उनमें से आधी रोटियां बच्चों को दे दी गईं और बची हुई आधी रोटियां दूसरे दिन के लिए रख दी गईं थी। इसी समय प्रताप को अपनी लड़की की चीख सुनाई दी, प्रताप ने देखा कि एक जंगली बिल्ली लड़की के हाथ से उसकी रोटी छीनकर भाग गई और भूख से व्याकुल लड़की के आंसू झर-झर टपकने लगे। यह देखकर राणा का दिल बैठ गया किन्तु राणा ने अपना धैर्य नहीं खोया।

**हवा से बात करता घोड़ा चेतक**

महाराणा के सबसे प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। कहा जाता है कि राणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक के सिर पर हाथी का मुखोटा लगाया जाता था जिससे दुश्मन की सेना के हाथी कंफ्यूज हो जायें। हल्दीघाटी में महाराणा बहुत घायल हो गये थे, उनके पास कोई सहायक नहीं था, ऐसे में महाराणा ने चेतक की लगाम थामी और निकल लिए। उनके पीछे दो मुग़ल सैनिक लगे हुए थे, पर चेतक की रफ़्तार के सामने दोनों ढीले पड़ गए। रास्ते में एक 26 फीट चोडा पहाड़ी नाला बहता था। चेतक भी घायल था पर इसके बावजूद चेतक ने छलांग लगा कर नाले को फांद लिया जिससे मुगल सैनिक मुंह ताकते रह गए लेकिन अब चेतक थक चुका था, वो दौड़ नहीं पा रहा था। महाराणा की जान बचाकर चेतक खुद शहीद हो गया।

**परस्पर भाईचारा के प्रतीक**

पूरे मेवाड़ को सांप्रदायिक सौहार्द में बांधकर रखने वाले प्रताप ने ही हल्दीघाटी के युद्ध में एक मुस्लिम सरदार को हरावथील दस्ते का जिम्मा सौंपा था।

**हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रवर्तक वीर शिरोमणि प्रताप**

महाराणा प्रताप पर शोध कार्य करने वाले वाले इतिहासकार डॉ. चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार 16वीं शताब्दी में हुमायूं को हराने वाले शेरशाह सूरी के वंशज हाकिम खां युद्ध नीति में पारंगत थे। इस समय में मुगलों ने युद्ध में बारूद का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया था। मेवाड़ सेनाओं को उस दौरान बारूद और तोप का ज्ञान नहीं था। ऐसे में महाराणा प्रताप ने हाकिम खां की योग्यता को पहचाना। हाकिम खां ने तोपची के रूप में मेवाड़ को अपनी सेवाएं दी।

**महिलाओं के सम्मान रक्षक राणा प्रताप**

डॉ. शर्मा के मुताबिक अब्दुल रहीम खान-ए-खाना को अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद अजमेर का सूबेदार बनाया था, रहीम खान को एक ही आदेश था– महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। इसके लिए रहीम ने अपना कैंप आबू की तलहटी में लगाया। उस समय प्रताप सुंधा माता की पहाड़ियों में रह रहे थे। प्रताप के बेटे अमर सिंह ने रहीम के कैंप का पता पता लगा करके और उसे युद्ध में परास्त करके उसकी बेगम को अगवा कर प्रताप के पास ले आए। अमर सिंह ने तर्क दिया कि जो मुगल उनके साथ करते हैं वहीं वो उनके बच्चों के साथ करेंगे। जैसे ही ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो वे अमर सिंह पर क्रोधित होकर अपना आपा खो कर अपने बेटे अमर सिंह को वापस महिला को सम्मान से सुरक्षित उनके कैंप में भिजवाने की व्यवस्था के आदेश दिए। प्रताप ने कहा– चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम नारी, स्त्री हमेशा भारतीय संस्कृति में आदरणीय रही है। इसका परिणाम होता है कि रहीम खुद अकबर को कहता है कि प्रताप इतने महान हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के खिलाफ वह संघर्ष नहीं कर सकता। इसके बाद रहीम की अजमेर से सूबेदारी हटा दी गई थी। अब्दुल रहीम ही बाद में श्रेष्ठ कवि रहीम के रूप में पहचाने गए।

**भारतीय कला साहित्य का विकास**

जब प्रताप की राजधानी चावंड हुआ करती थी तब प्रताप ने कला, साहित्य, संस्कृति, खेती को प्रोत्साहित किया। मुस्लिम कलाकार निसार ने

रागमाला का सुंदर चित्र बनाया, जिसे चावंड कलम के नाम से जाना जाता है। निसार के समस्त चित्र भागवत पुराण पर आधारित थे। हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक चावंड कलम है, इसकी विषय वस्तु पौराणिक है।

**फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गुरु राणा प्रताप**

वैश्विक व्यापार के लिए गुजरात को जाने का रास्ता और हज करने के लिए मक्का-मदीना का रास्ता मेवाड़ होकर गुजरता था। मेवाड़ के पास उस दौर में मांडलगढ़ और जावर दो महत्वपूर्ण खाने थी। जिनसे राज्य को अत्यधिक धनराशि प्राप्त होती थी। चित्तौड़ पर आक्रमण कर मुगलों ने मांडल माइंस पर कब्जा कर लिया लेकिन जावर माइंस पर कब्जा नहीं कर पाए। इतिहासकार डॉ. भानू कपिल के मुताबिक जावर माइंस से बड़ी मात्रा में चांदी निकलती थी। यही वजह रही कि इतने लम्बे समय तक चली लड़ाई को प्रताप को कुशलता पूर्वक संचालित कर पाये थे।

डॉ. भानू कपिल के मुताबिक प्रताप के राज्य में उत्तम राशन व्यवस्था, कृषि के क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित किया गया था। किसानों और आदिवासियों को स्वपोषी अधिकार प्राप्त थे। इसी वजह से युद्ध के समय राज्य के समस्त भीलों ने प्रताप का तन-मन-धन से साथ दिया।

**जल वितरण की उत्तम व्यवस्था**

प्रताप ने जहां-जहां भी राजधानी बनाई, वहां आवरगढ, उदय की पहाड़ियां, बलुआ की घाटी, चावंड क्षेत्र से लेकर सुंधा माता तक जल के बड़े-बड़े स्त्रोत का निर्माण किया ॥

**डॉ. जे के गर्ग,**
पूर्व शिक्षा संयुक्त निदेशक, जयपुर

# नयी शिक्षा नीति का अभिनव आरंभ; कुतुबमीनार शीर्ष पर कूद कर चढ़ने जैसा

प्रो. ( डॉ. ) वीर बहादुर सिंह

भारत सरकार की नयी शिक्षा नीति के चर्चे हैं कि लागू कर दी गयी है पता ही नहीं चला कि बनने के उपरांत क्या कोई स्पेड वर्क हुआ? क्या देश और प्रदेशों में उस पर कोई सम्वाद, चर्चा कार्यशाला, गाइड लाइन का बनाना, विभिन्न विषय की विभिन्न स्तरों की कमेटिओं का गठन, देश के स्तर पर विषयबार शीर्ष विशेषज्ञों की कमेटियां विषय वस्तु निर्माण करने के लिए और फिर उस विषय वस्तु को प्रदेशों की विषय समितिओं को उक्त विषय की पाठ्यक्रम रचना करने के लिए सौंपना। मुझे नहीं लगता इनमे से सरकार ने कोई भी कदम उठाया हो? फिर नवीन शिक्षा नीति कैसे लागू हो गयी बिना पूर्व तैयारी के? यह तो वैसे ही है जैसे कुतुबमीनार के शीर्ष पर छलांग लगाकर पहुंच गए हों।

बिषमय भरी बात है लेकिन मेने अनुभव किया है सरकारी योजनाए ऐसे ही लचर पचर चलती हैं फिर वांछित परिणाम कैसे प्राप्त होंगे? हां, त्रुटियाँ रहने पर मधु मक्खिओं की भांति लोग आसमान उठा लेंगे विरोधी पार्टिओं के लोग सरकार पर दोषारोपण कर नित नयी ख़बरों से अखवारों को पाट देंगे। अन्य अपने को धुरन्धर समझने वाले तथाकथित स्वतंत्र लेखक अखवारों के पेज भरने में अपनी पारंगतता सिद्ध करने में जुट जायेंगे। तात्पर्य ये है कि प्रत्येक विषय सामग्री की बारीकियों पर ध्यान दिए बगैर किसी भी विषय का पाठ्यक्रम कक्षा वार व् क्रमोत्तर ढंग से जब तक नहीं बनाया जायगा, पाठ्यक्रम में कमियां रहना स्वाभाविक है फिर विरोधिओं द्वारा दोष ये कि सही विषय वस्तु बदल कर कुछ और ही पाठ्यक्रम में डाल दिया गया है।

वर्ष 1986 में बनी या लागू हुयी शिक्षा नीति के अधिकांश मुद्दे डॉ. वी.वी. जॉन जो अंत में जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक; ओर्बिटिंग प्रोफेसर के 32 अध्याओं में से लिया गये थे।आश्चर्य तो इस बात का है कि यह बात किसी लेखक ने कभी नहीं उजागर की। उनके कई लेख तो राज्य सरकार द्वारा संभवत: पब्लिश बुलेटिन; शिविरा; में भी छपे थे जो निश्चित रूप से शिक्षकों ने पढे होंगे।

महाविद्यालयों व् विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम बनाने और अपग्रेड करने की प्रक्रिया संकाय स्तर पर पाठ्यक्रम कमेटियाँ करती रहती हैं जिनमे संस्था के चुनिंदा अध्यापकों व बाहर की किसी संस्था से एक अनुवभी व्यक्ति को सदस्य रूप में बुलाया जाता है तत्पश्चात वह पाठ्यक्रम संकाय की बड़ी समिति में अनुमोदित होकर विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् में फाइनल अनुमोदित होकर लागू कर दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था से पाठ्यक्रम लगातार संशोधित होते रहते हैं।

मेरे विचार से स्कूल शिक्षा में ऐसी व्यवस्था नहीं है, अत: सरकार को चाहिए कि पाठ्यक्रम संशोधन एवं बनाने के क्रम में सर्वप्रथम रोडमैप विकसित करे और उसके अनुसार समितियां, बनाकर समयबद्ध ढंग से विभिन्न पाठ्यक्रम संशोधित अथवा नए निर्माण किये जायें ।

इनमे प्राप्त सलाहों व सुझाओं पर उचित कार्यवाही कर पाठ्यक्रम में समावेश कर पाठ्यक्रम को उन्नत कर फाइनल किया जाय । अंत में एक सबसे महत्व पूर्ण पक्ष नए विकसित पाठ्यक्रमों को पढाने का, पढायेगा कौन और कितना? संशोधित अथवा नए विकसित पाठ्यक्रमों में कुछ अंश अथवा टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिन्हे विषय पढाने वाले अध्यापकों ने कभी पढा ही नहीं होगा फिर वो नए शीर्षक कैसे पढाएंगे और कितना पढाएंगे? इस कमी को हल करने के लिए कक्षा – विषयबार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उचित संस्थाओं में अनेक स्थानों पर 15 से 21 दिन की कार्यशाला आयोजित किये जावे।

जिससे पढाने वाले अध्यापक नए टॉपिक पढाने में प्रशिक्षित हो सकें। इस कमी को दूर करने वास्ते विकसित पाठ्यक्रमों को छात्रों तक पहुँचाने की भूमिका राज्य के शिक्षा विभाग को निभानी होगी। एक निश्चित प्रक्रिया को तैयारी के साथ अपनाकर कार्य करना त्रुटि रहित तो होगा ही, वांछित परिणाम उपलब्ध होकर श्रेयकर भी रहेगा।

**प्रो. ( डॉ. ) वीर बहादुर सिंह,**
**पूर्व कुलपति एवं डेरी विज्ञ,**
**एमपीयूएटी,उदयपुर**

# राज्य सरकार ने मायरा की गुफा के विकास के लिए 5 करोड़ 44 लाख रुपए स्वीकृत किए

**उदयपुर,** (कासं)। उदयपुर जिले के गोगुन्दा में स्थित महाराणा प्रताप से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक स्थल मायरा की गुफा के लिए राज्य सरकार ने पांच करोड चालीस लाख चवालीस हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर मेवाड वासियों को बडी सौगात प्रदान की है।

महाराणा प्रताप के शस्त्रागार के रूप में ख्यात मायरा की गुफा के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण होने से उदयपुर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहां आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक नवाचारों के साथ मेवाड़ के गौरव से लाभान्वित होंगे।

जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 के क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग व वन विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा 544.40 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा इस प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत कार्य पर्यटन विकास कोष से करवाए जाने हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी है।

कलेक्टर मीणा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत कार्यों में मायरा की गुफा तक पहुंचने के लिए सुगम यातायात हेतु सडक निर्माण कार्य के लिए 349 लाख रुपये, मायरा की गुफा के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए 154.13 लाख तथा मायरा की गुफा क्षेत्र स्थल पर वानिकी कार्य के लिए 37.31 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग, जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कार्य कार्य पुरातत्व व संग्रहालय विभाग एवं वानिकी कार्य वन विभाग द्वारा करवाया जाएगा।

कलेक्टर मीणा ने बताया कि वानिकी विकास कार्यों में धरोहर स्थल के आस-पास जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण पर 17.31 लाख तथा कुल 2 हजार पौधरोपण के पर बीस लाख रुपये की स्वीकृत किए गए हैं।

**उदयपुर जिले के गोगुंदा स्थित महाराणा प्रताप के शस्त्रागार के रूप में प्रसिद्ध मायरा की गुफा।**

## राशिफल गुरुवार 2 जून, 2022

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2079, आर्द्रा नक्षत्र सांय 4:04 तक, गंड योग रात्रि 2:35 तक, तैतिल करण दिन 11:02 तक, चन्द्रमा मिथुन राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-वृष, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-मीन, बुध-वृष, गुरू-मीन, शुक्र-मेष, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि और रवियोग सांय 4:04 से आरम्भ होंगे। आज रंभा मीज व्रत है और महाराणा प्रताप जयन्ती है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** शुभ सूर्योदय से 7:19 तक, चर 10:43 से 12:25 तक, लाभ-अमृत 12:25 से 3:44 तक, शुभ 5:30 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:12

**मेष**
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

**वृष**
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यक्तिगत कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

**मिथुन**
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। वर्तमान में चल रही परेशानियां दूर होने लगेगी। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कर्क**
व्यक्तिगत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा।

**सिंह**
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

**कन्या**
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।

**तुला**
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

**वृश्चिक**
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

**धनु**
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।

**मकर**
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिलेगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

**कुंभ**
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

**मीन**
परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।